

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला-अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 58/2017

- 1- गोरधनसिंह पुत्र चतरसिंह उम्र बालिग
- 2- नारायणसिंह पुत्र चतरसिंह उम्र बालिग समस्त जाति राजपूत निवासियान ग्राम बाड़ी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर राज.

-----वादीगण

ब न म

राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार महोदय, विजयनगर।

-----प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी  
निर्णय

वादीगण ने अपने वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है, कि ग्राम बाड़ी पटवार हल्का बाड़ी तहसील बिजयनगर के खसरा नंबर 1251 रकबा 08-16-00 बीघा भूमि वादीगण के नाम बतौर गैर खातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है। उक्त आराजियात संवत् 2041 में राजकीय भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी जो राजस्थान सरकार द्वारा उक्त आराजियात वादीगण के पिता चतरसिंह पुत्र रुघनाथसिंह कौम राजपूत के नाम गैर खातेदार अलोट की थी। खसरा न. 1251 रकबा 08-16-00 बीघा में से 01-12-00 बीघा नामान्तरकरण संख्या 2052 दिनांक 14.08.2014 के रेफरेन्स से गै.मु.नाला दर्ज हुई थी जो अभी वादी के नाम शेष 07-04-00 बीघा रेकोर्ड में दर्ज चली आ रही है। उक्त आराजियात वादीगण के पिता को अलोटमेंट के वक्त से ही कब्जा चला आ रहा है, तभी से ही वादीगण काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण पिछले 21 साल से शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक व बाधा के काश्त करता चला आ रहा है जो वादी के सुखाधिकार के रूप में काश्त करते चले आ रहे हैं। जिससे वादीगण के नाम खातेदार दर्ज करने हेतु घोषणात्मक डिक्री प्राप्त कराने का एक मात्र अधिकारी है। प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि को गलत इन्द्राजों के आधार पर खुर्द बुर्द कर देगा और कई लोगो के नाजायज कब्जा करा देगा। इसलिये इस वाद की आवश्यकता हुई है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादीगण के हक में तथा प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री पारीत की जाकर वादग्रस्त आराजियात में वादीगण के नाम खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा जो वादीगण के उक्त आराजियात में गैर खातेदार लिखा है, उससे हटाकर खातेदार दर्ज किया जावे। तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जावे कि वादीगण को विवादित आराजियात से बेदखल नही करे तथा हस्तांतरित परिवर्तित आदि नही करे। तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी ने विवादित भूमियां वादीगण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है तथा कमाण्ड ऐरिया में होने से खातेदारी नहीं दी जा सकती है। अतः वाद खारीज किया जावे।

प्रकरण में साक्ष्य वादी में वादी गोरधनसिंह पुत्र चतरसिंह, कैलाश चन्द पुत्र देवीलाल ने आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी के तहत शपथ पत्र पेश कर कथन अपने वाद पत्र के कथनो का समावेश किया और दावा स्वीकार करने का कथन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया बाद अवलोकन वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अनसुार विवादित भूमियां वादीगण के पूर्वज के नाम गैर खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। उनके पूर्वज के स्वर्गवास के बाद वादीगण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। किन्तु राज्य सरकार के निर्देशानुसार कमाण्ड ऐरिया में विवादित भूमियां होने के कारण उन्हें खातेदारी प्रदान किया जाना न्यायचित प्रतित नहीं होता है, अतः ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादी अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8/6/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)

(सुरेश चावला)

उपप्रमुख अतिरिक्त मसूदा  
मसूदा (अजंमर) राज०

